कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री सिक्योरिटी प्रिन्टर्स आफ इण्डिया प्रा0लि0, 16/103,लक्ष्मी बिल्डिग दि माल ,कानपुर।**

प्रा0प0सं0- **411 /2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री पी0एल0खन्ना ,फर्म डायरेक्टर ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय</u>

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 11-11-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा बताया गया कि उनकी फर्म में बैको की चेकबुके बैको द्वारा दिये गये प्रारुप में छाप कर आपूर्ति की जाती है। यह भी बताया गया कि उनकी उपरोक्त चेकबुको की आपूर्ति उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की अनुसुची-1 के क्रमांक-29 के अन्तर्गत करमुक्त है तथा उक्त प्रविष्टि निम्नवत् है:-

29	*Non-judicial stamp paper sold by Govt. Treasuries, Postal items like envelope, postcard etc. sold by Govt., rupee note when sold to the Reserve Bank of India & Cheque, loose or in the book form.*

व्यापारी द्वारा बैको को दिये गये **चेकबुको की आपूर्ति पर** करदेयता की स्थिति जाननी चाही गयी है।

2- व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, कानपुर जोन, कानपुर ने पत्र संख्या-3142 दिनांक 20-12-2008 से आख्या प्रेषित की है जिसके अनुसार चेकबुक जो सरकार द्वारा बेची जायेगी /आपूर्ति की जायेगी उस पर करदेयता नहीं है परन्तु व्यापारी द्वारा निर्मित चेक बुक करयोग्य वस्तु है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री पी0एल0खन्ना ,फर्म डायरेक्टर उपस्थित हुयें और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया ।

4- मेरे द्वारा व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र,प्राप्त विभागीय आख्या का परिशीलन किया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुना गया तथा मेरे द्वारा इसके असाधरण सरकारी गजट के हिन्दी वर्जन का भी अध्ययन किया गया । हिन्दी वर्जन निम्नवत् है:-

29	राजकीय कोषागार द्वारा विक्रय किये जाने वाले गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर, सरकार द्वारा बेचे जाने वाली डाक सामग्री जैसे- लिफाफा,पोस्ट कार्ड इत्यादि,रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को बेचे गये रुपये के नोट, **<u>चेक खुले अथवा बुक फार्म में</u> ।**

उक्त के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की अनुसुची-1 के क्रमांक-29 के अन्तर्गत केवल रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को बेचे गये चेक खुले अथवा बुक फार्म में करमुक्त रहेगे तथा उक्त के अतिरिक्त चेक खुले अथवा बुक फार्म में बिक्री किसी अनुसुची में न आने के कारण अनुसुची-5 के अन्तर्गत अवर्गीकृत की भांति 12.5प्रतिशत की दर से करदेय होगे।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को ,एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैब साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

दिनांकः: 19,जून,2009

ह0/19.6.09

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि 12/6/09